


**कार्यालय परियोजना निदेशक**  
**समन्वयक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका**

**अल्पकालीन निविदा**

दुमका जिलान्तर्गत कल्याण विभाग, द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में खाद्य/अखाद्य सामग्रियों के विक्रेताओं से दर निर्धारण हेतु दिनांक 30.08.2016 को 12:30 बजे अपराह्न तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा विपत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका (अपर परियोजना निदेशक) के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा दिनांक 30.08.2016 को 03:00 बजे अपराह्न में परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, दुमका के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। निविदा में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री एवं निविदा की शर्तें दुमका जिला के वेबसाईट [www.dumka.nic.in](http://www.dumka.nic.in) पर देखा जा सकता है एवं विशेष जानकारी हेतु कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

  
 परियोजना निदेशक,  
 आई0टी0डी0ए0, दुमका।

1	अनाज (अति विपत्र)	26	अनाज (अति विपत्र)	41	अनाज (अति विपत्र)
2	अनाज (अति विपत्र)	27	अनाज (अति विपत्र)	42	अनाज (अति विपत्र)
3	अनाज (अति विपत्र)	28	अनाज (अति विपत्र)	43	अनाज (अति विपत्र)
4	अनाज (अति विपत्र)	29	अनाज (अति विपत्र)	44	अनाज (अति विपत्र)
5	अनाज (अति विपत्र)	30	अनाज (अति विपत्र)	45	अनाज (अति विपत्र)
6	अनाज (अति विपत्र)	31	अनाज (अति विपत्र)	46	अनाज (अति विपत्र)
7	अनाज (अति विपत्र)	32	अनाज (अति विपत्र)	47	अनाज (अति विपत्र)
8	अनाज (अति विपत्र)	33	अनाज (अति विपत्र)	48	अनाज (अति विपत्र)
9	अनाज (अति विपत्र)	34	अनाज (अति विपत्र)	49	अनाज (अति विपत्र)
10	अनाज (अति विपत्र)	35	अनाज (अति विपत्र)	50	अनाज (अति विपत्र)
11	अनाज (अति विपत्र)	36	अनाज (अति विपत्र)	51	अनाज (अति विपत्र)
12	अनाज (अति विपत्र)	37	अनाज (अति विपत्र)	52	अनाज (अति विपत्र)
13	अनाज (अति विपत्र)	38	अनाज (अति विपत्र)	53	अनाज (अति विपत्र)
14	अनाज (अति विपत्र)	39	अनाज (अति विपत्र)	54	अनाज (अति विपत्र)
15	अनाज (अति विपत्र)	40	अनाज (अति विपत्र)	55	अनाज (अति विपत्र)
16	अनाज (अति विपत्र)	41	अनाज (अति विपत्र)	56	अनाज (अति विपत्र)
17	अनाज (अति विपत्र)	42	अनाज (अति विपत्र)	57	अनाज (अति विपत्र)
18	अनाज (अति विपत्र)	43	अनाज (अति विपत्र)	58	अनाज (अति विपत्र)
19	अनाज (अति विपत्र)	44	अनाज (अति विपत्र)	59	अनाज (अति विपत्र)
20	अनाज (अति विपत्र)	45	अनाज (अति विपत्र)	60	अनाज (अति विपत्र)
21	अनाज (अति विपत्र)	46	अनाज (अति विपत्र)	61	अनाज (अति विपत्र)
22	अनाज (अति विपत्र)	47	अनाज (अति विपत्र)	62	अनाज (अति विपत्र)
23	अनाज (अति विपत्र)	48	अनाज (अति विपत्र)	63	अनाज (अति विपत्र)
24	अनाज (अति विपत्र)	49	अनाज (अति विपत्र)	64	अनाज (अति विपत्र)
25	अनाज (अति विपत्र)	50	अनाज (अति विपत्र)	65	अनाज (अति विपत्र)

## निविदा की शर्तें :-

### तकनीकी निविदा :-

1. निविदादाता को खादय एवं अखादय सामग्री के लिये निविदा के साथ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्रतिभूति के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के पदनाम से जमा करना होगा।
2. निविदादाता को वाणिज्य कर विभाग का निबंधन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं आयकर का अद्यतन सरल (निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. जिन सामानों की आपूर्ति की जानी है, उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

### खादय एवं अखादय सामग्री:-


क्र0	सामग्री का नाम	क्र0	सामग्री का नाम	क्र0	सामग्री का नाम
1	चावल उसना (प्रति किलो)	18	पापड़ (प्रति किलो)	35	नारियल तेल (प्रति किलो)
2	अरवा चावल (बासमती) (प्रति किलो)	19	हल्दी (गोटा) (प्रति किलो)	36	फिनाईल (प्रति बोतल) (250 ग्राम)
3	अरहर दाल (प्रति किलो)	20	हल्दी (गुंडी) (प्रति किलो)	37	अंडा (प्रति दर्जन)
4	चना दाल (प्रति किलो)	21	घनिया (प्रति किलो)	38	खस्सी मांस (प्रति किलो)
5	मूँग दाल (प्रति किलो)	22	गोलकी (प्रति किलो)	39	मुर्गा मांस (प्रति किलो)
6	मसूर दाल (प्रति किलो)	23	जीरा (प्रति किलो)	40	बन (प्रति नग)
7	चना (प्रति किलो)	24	सूखा लाल मिर्च (प्रति किलो)	41	ब्रेड (प्रति पैकेट) मिडियम
8	गुड़ डेला (प्रति किलो)	25	गरम मसाला (प्रति किलो)	42	मक्खन (प्रति पैकेट) (100 ग्राम)
9	चूड़ा (प्रति किलो)	26	लहसून (प्रति किलो)	43	रसगुल्ला (प्रति नग)
10	मूँगफली दाना (प्रति किलो)	27	तेजपत्ता (प्रति किलो)	44	दुध (प्रति लीटर)
11	रिफाइन (प्रति किलो)	28	दुध पेस्ट (कोलगेट) (प्रति नग)	45	आलू (प्रति किलो)
12	सरसों तेल (प्रति किलो)	29	दुध ब्रश (कोलगेट) (प्रति नग)	46	प्याज (प्रति किलो)
13	नमक (प्रति किलो)	30	जीमिया (स्टील) (प्रति नग)	47	हरी सब्जी (प्रति किलो)
14	चीनी (प्रति किलो)	31	वाशिंग पावडर (व्हील) (प्रति किलो)	48	फल (प्रति किलो) (सेब)
15	आटा (प्रति किलो)	32	लाइफबॉय साबुन (150 ग्राम) (प्रति नग)	49	जलावन लकड़ी (प्रति क्वी.)
16	चना बेसन (प्रति किलो)	33	साबुन रिन/चेक (प्रति नग)	50	कोयला (प्रति क्वीटल)
17	सूजी (प्रति किलो)	34	नारियल झाड़ू (प्रति किलो)		

(B) वित्तीय निविदा :-

1. निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों का दो ही दर निविदा में अंकित करना होगा एवं दो ही नमूना निविदा समिति के समक्ष लाना अनिवार्य होगा। दो से ज्यादा दर एवं नमूना मान्य नहीं होगा एवं उनका निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(C) अन्य शर्तें :-

1. निविदादाता पहले तकनीकी निविदा संबंधी दस्तावेजों को एक लिफाफे में सीलबन्द करेंगे तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे को अलग सीलबन्द करेंगे। दोनों लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबन्द करेंगे। प्रत्येक लिफाफे पर उसमें रक्षित कागजातों यथा वित्तीय अथवा तकनीकी निविदा अंकित करेंगे।
2. निविदा प्रस्तुती/स्वीकृति के उपरान्त जाली/असत्य दस्तावेज पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर स्वीकृत निविदा को कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा के साथ जमा अग्रधन/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. अनुभवी एवं झारखण्ड राज्य के आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के पूर्व अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
5. निविदा में अंकित दर सभी करों सहित होना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के कर जमा करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. निविदादाता को सामानों की आपूर्ति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में पहुँचाकर करना होगा। जिसका अलग से कोई परिवहन एवं हाथालन व्यय देय नहीं होगा।
7. उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता एवं परिमाण तथा दर को मद्देनजर रखते हुए निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। निविदादाता को निविदा की शर्तों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार-अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

  
परियोजना निदेशक,  
आई0टी0डी0ए0, दुमका।